प्रदेश की सभी रेहड़ी मार्केट होंगी पक्की : सीएम

कहा – शहरी क्षेत्र में छोटे व्यापारियों को रियायती दर पर मिलेंगे बूथ, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लागू

जागरण संवाददाता, पंचकूला : मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि हरियाणा की सभी रेहड़ी मार्केट को पक्का किया जाएगा। छोटे व्यापारियों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत व्यापारियों को सामान्य बीमा दर पर आग, बाढ़ आदि से हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पंचकूला के सेक्टर-9 में छोटे व्यापारी रेहड़ी बाजार पुनर्वास योजना का शुभारंभ करने के बाद अंत्योदय मार्केट का भी शिलान्यास किया। उन्होंने आठ अलाटियों को पजेशन लेटर दिए और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का ब्रोशर भी जारी किया।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि भविष्य में किसी भी छोटे व्यापारी को इस तरह का दंश को न झेलना पड़े, इसके लिए गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित राज्य की सभी रेहड़ी मार्केट को पक्के बूथ बनाकर अलाट किए जाएंगे। उन्होंने पंचकूला की सेक्टर-7, 11 व 17 में भी रेहड़ी मार्केट के पक्के बूथ बनाकर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों को एचएसवीपी द्वारा मार्केट रेट में 25 प्रतिशत की रियायत भी प्रदान की जाएगी, लेकिन यह छूट कब्जाधारियों पर लागू नहीं होगी।

मार्केट रेट के अनुसार एक बूथ का रेट लगभग 17 लाख रुपये बनता है, लेकिन प्राधिकरण की रियायत के बाद 63 स्क्वायर फीट के बूथ की लगभग 13 लाख रुपये कीमत होगी और इस पर सेंट्रल बैंक की ओर से 75 प्रतिशत ऋण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस प्रकार हर अलाटी की भरपूर मदद की जा रही है। यदि बूथ धारक इस राशि को 180 दिन में जमा करवा देगा, तो उसे ब्याज की पूरी छूट दी जाएगी। इस मार्केट में फुटपाथ, बिजली एवं अन्य संसाधनों पर प्राधिकरण की ओर से 50 लाख रुपये की राशि खर्च की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचन्द गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री पीड़ितों के दुःख दर्द को समझते हुए पूरे प्रदेश के लिए बेहतर योजना लेकर आए हैं। ताकि छोटे व्यापारी एवं गरीब व्यक्ति भी सम्मान के साथ रोजी रोटी कमा सके।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला के सेक्टर-9 की रेहड़ी मार्केट पुनर्वास कार्यक्रम में दुकानदार को उनके मालिकाना हक के दस्तावेज सौंपते हुए। साथ में हैं विधान सभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता। ● जागरण

दुबई के उद्यमियों को निवेश के लिए आमंत्रित करेगा हरियाणा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर भारत में बेहतर कनेक्टिविटी का हब बन चुके हरियाणा के लिए विदेशी निवेश आमंत्रित करने मुख्यमंत्री मनोहर लाल दो अक्टूबर को एक बार फिर दुबई जाएंगे। सीएम का यह प्रवास भी दो दिवसीय रहेगा। इस प्रवास के दौरान सीएम दुबई में विदेशी निवेश आकर्षित करने के अलावा गुरुग्राम के नजदीक ग्लोबल सिटी विकसित करने के उद्देश्य से आयोजित हो रहे सेमीनार में हिस्सा लेंगे। सीएम के साथ दुबई जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में राज्य के उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण और अन्य अधिकारी शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री 28 और 29 सितंबर को दो दिन पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से दुबई गए थे। मुख्यमंत्री ने दुबई में लुलु ग्रुप के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक युसूफ अली सहित सर्राफ ग्रुप के वाइस चेयरमैन सर्रफुद्दीन सर्राफ से भी मुलाकात की थी।

दो समुदायों में विवादित जमीन को लेकर हुए विवाद में नौ पर केस

जासं, यमुनानगर : छछरौली में विवादित जमीन को लेकर दो समुदायों में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने नौ लोगों पर हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। मौके पर पुलिस तैनात है। यहां पर दो दिन से सुखमणि साहिब का पाठ चल रहा है। एसजीपीसी के सदस्य बलदेव सिंह कायमपुरी ने बताया कि शनिवार को भोग पड़ जाएगा। उसके बाद गुरुग्रंथ साहिब को दूसरे गुरुद्वारा साहिब में स्थापित कर दिया जाएगा। बता दें कि मुस्लिम समुदाय का दावा है कि आजादी से पहले इस जमीन पर मस्जिद थी, जबकि सिख समाज का कहना है कि आजादी के बाद यह जमीन सिखों के हिस्से में आई थी। जिस पर गुरुद्वारा साहिब स्थापित किया गया था। दूसरे पक्ष ने भी पुलिस को शिकायत दी है। वीरवार को छछरौली के खेड़ा मोहल्ला में जमीन पर निशान साहिब स्थापित करने पर दो समुदायों में विवाद हो गया।

पुत्रवधू की प्रताड़ना से तंग आकर सास ने कर ली आत्महत्या

जागरण संवाददाता, पलवल: गांव धतीर में पुत्रवधू की प्रताड़ना से तंग आकर सास ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। आरोप है कि पुत्रवधू ने अपनी सास के साथ जमकर मारपीट की, जिससे आहत होकर उसने यह कदम उठाया। गदपुरी थाना पुलिस ने नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच लिया है।

पुलिस के अनुसार, गांव धतीर के रहने वाले हरबंस ने शिकायत दी है कि उसके पुत्र सचिन की गांव पृथला की रहने वाली रुकमणी के साथ वर्ष 2017 में शादी हुई थी। शादी के बाद से ही रुकमणी घर में लड़ाई झगड़ा करने लगी। रुकमणी की वजह से घर में आए दिन कलह होती थी। उनकी पुत्रवधू रुकमणी अपनी सास सोनवती के साथ मारपीट करती थी, जिस कारण पत्नी सोनवती बहुत दुखी रहती थी। घर में कलह के चलते पुत्र सचिन भी काफी तनाव में रहता था। इसी कारण सचिन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। सचिन की मौत के बाद रुकमणी काफी क्रूर हो गई। रुकमणी उन्हें और उनके दूसरे पुत्र भीम को जान से मारने की धमकी देती थी। बीती 28 सितंबर की शाम को करीब साढ़े छह बजे वह किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। सोनवती को अकेला पाकर रुकमणी ने उसके साथ जमकर मारपीट की।

करनाल के मंदीप को राष्ट्रपति ने दिया रजत कमल पुरस्कार

जागरण संवाददाता, करनाल: 68वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोंदर निवासी मंदीप सिंह चौहान को उनके द्वारा निर्मित डाक्यूमेंट्री के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रजत कमल पुरस्कार प्रदान किया। फिल्म निर्माता मंदीप को यह सम्मान उनकी लघु फिल्म जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड के लिए दिया गया।

नान फीचर श्रेणी में यह प्रस्तुति राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ डाक्यूमेंट्री के रूप में चयनित की गई थी। मंदीप के साथ निर्देशक कामाख्या नारायण सिंह को भी सम्मान मिला। 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने हाल में घोषित किए।

राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करते मंदीप सिंह चौहान। ● विज्ञप्ति

झिंडा याददाश्त खो चुके हैं, कर रहे गलत बयानबाजी: दादूवाल

संस, कालांवाली (सिरसा) : उच्चतम न्यायालय द्वारा हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मान्यता को लेकर फैसला कमेटी के पक्ष में दिए जाने के बाद कमेटी अध्यक्ष जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल पहली बार कालांवाली पहुंचे। कालांवाली अनाज मंडी में मार्केट कमेटी के पूर्व वाइस चेयरमैन सुरेश सिंगला के प्रतिष्ठान पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया।

दादूवाल ने कहा कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कानून के अनुसार अपना काम कर रही है। खुद को प्रधान-प्रधान कहने से कुछ नहीं होता, इससे तो संस्था की तौहीन होती है। खुद को प्रधान कहने वाले जगदीश सिंह झिंडा अपने दिमाग से फैसले कम लेते हैं और अपने आस पास के लोगों की बात ज्यादा मानते हैं। कुछ दिन पूर्व हुई दोनों पक्षों की बैठक में सहमति हुई थी कोई भी कमेटी को लेकर गलत बयानबाजी नहीं करेगा, मिलकर प्रचार करेंगे। परंतु दो दिनों बाद ही जगदीश झिंडा गलत बयानबाजी कर रहे हैं। झिंडा अपनी याददाश्त खो चुके हैं। वह सुबह वाली बात को दोपहर में भूल जाते हैं।

डाकखाने का एजेंट बन करोड़ों हड़पकर फरार

संवाद सूत्र, जुलाना : डाकखाना का एजेंट बनकर आरडी (आवर्ती जमा) व एफडी (फिक्स्ड डिपोजिट) के नाम पर धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये हड़पने के आरोप में पुलिस ने जुलाना निवासी श्यामलाल, उसके दो बेटे, एक लड़की व पुत्रवधु के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

श्यामलाल व उसके परिवार के सदस्यों पर आरोप है कि उन्होंने लोगों की अमानत में खयानत करके सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपये हड़पे हैं। श्यामलाल पर आरोप है कि उसने एफडी व आरडी की किस्त के पैसे लोगों से लेकर डाकखाने में जमा नहीं करवाए और खुद हड़प गया। छह जुलाई 2021 की रात को अपने मकान व दुकानों को ताला लगाकर बिना किसी को बताए अपने परिवार सहित जुलाना छोड़कर फरार हो गया था।

जुलाना निवासी संजय व अन्य लोगों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि जुलाना निवासी श्यामलाल की पुत्रवधु सीमा डाकघर जुलाना की एजेंट थी। श्यामलाल एजेंट का काम करता था। उसने बहुत से लोगों का आरडी का खाता, तो किसी की एफडी करवाई हुई थी। उसने भी श्यामलाल से आरडी खाता करवा रखा था। श्यामलाल आरडी खाते में जमा करने के लिए उनसे ली गई किस्तों की राशि खाते में जमा ना करवाकर खुद हड़प गया। उन्होंने श्यामलाल की लड़की रितु से करीब एक सप्ताह बाद संपर्क किया, तो रितु ने आश्वासन दिया कि उसके पिता द्वारा ली गई राशि का पूरा हिसाब वो करेगी। अब रितु उसके पिता श्यामलाल की प्रोपर्टी अपने नाम करवाकर लोगों को बेचकर खुद रुपये लेकर चली गई है। जब हिसाब-किताब करने के लिए कहा तो रितु ने धमकी दी कि वह एक वकील है। उसे पिता श्यामलाल के बारे सब पता है। उसके बारे में नहीं बताएगी और ना ही हिसाब-किताब करेगी। रितु ने धमकी दी कि वह उन पर झूठा केस करवाकर फंसा देगी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, टोह्ना में 8 कंडम कमरों व बरामदें सहित तोड़ने की नीलामी 6 अक्तूबर 2022 को सुबह 12 बजे की जाएगी। धरोहर राशि दस हजार रुपये होगी। नीलामी की शर्तें मौके पर पढ़कर सुना दी जाएगी।

– विनोद शर्मा, प्रधानाचार्य
मो. 94166-89900

CCS Haryana Agricultural University, Hisar
(Established by Parliament Act 16 of 1970)

Tender Notice

CCS Haryana Agricultural University, Hisar is Inviting Tenders for the purchase of following equipments/items :-

1. Purchase of 'B' Twill Bags (50 kg. Cap.), Jute Canvas Bags of various sizes with Printing. The offer must be valid for a period of atleast three months from the date of opening of tender, O/o Director (Stores & Purchases).
2. Purchase of Refrigerated Centrifuge for the Dept. of RBEE, COAE&T
3. Purchase of Muffle Furnace for the Dept. of RBEE, COAE&T
4. Purchase of Refrigerated Incubator Shaker for the Dept. of RBEE, COAE&T
5. Purchase of BOD Incubator for the Dept. of RBEE, COAE&T
6. Purchase of Biosafety Cabinet for the Dept. of RBEE, COAE&T
7. Procurement of Fast Protein Liquid Chromatography (FPLC) for the Dept. of RBEE, COAE&T
8. Purchase of High Performance Liquid Chromatography (HPLC) for the Dept. of RBEE, COAE&T
9. Purchase of One Automatic Nitrogen/Protein Estimation System for College of Fisheries Science
10. Purchase of One Compound DIC Microscope for College of Fisheries Science
11. Purchase of One Automatic PC Compatible Fiber Estimation System for College of Fisheries Science.

For detail information and e-tendering schedule, please visit the website http://etenders.hry.nic.in and University website http://hau.ac.in.
Date of start of bid preparation and submission on 01.10.2022 (09:00 hours) and Closing on 21.10.2022 up to 17:00 hours. Opening of Technical Bid on 27.10.2022 at 10:00 A.M. Opening of Financial Bid on 31.10.2022 at 10.00 AM.
Note: 1. All updates, amendments, Corrigenda etc. (If any) will be posted only on the CCS HAU Website/Tender website. There will not be any publication of the same through Newspapers or any other media.
2. Interested bidders are advised to deposit bid security/EMD on or before 48:00 hrs of expiring date and time of bid online so as to get the payment verified.

Sd/-
Director (Store & Purchase)
CCSHAU, Hisar

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय
उत्तर प्रदेश सरकार
एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड (हाइट्स) के द्वारा

निविदा आमंत्रण सूचना

- चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार केलिए और उनकी ओर से, एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड (एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड की सहायक कंपनी, भारत सरकार का उद्यम) का प्रापण एवं परामर्श सेवा प्रभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत स्थापित होनेवाले मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को विभिन्न चिकित्सा उपकरणों एवं फर्नीचरों की आपूर्ती केलिए योग्य बोलीदाताओं से ई-निविदाएं आमंत्रित करता है।
- निविदाओं केलिए बोलीपूर्व बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड, प्रापण एवं परामर्श सेवा प्रभाग, बी-14ए, सेक्टर-62, नोएडा- 201307 में होगी। बोली पूर्व बैठक और वीडियो कॉन्फ्रेंस लिंक की सारणी केलिए कृपया GeM पोर्टल, www.hllhites.com और www.dgmeup.gov.in देखें।
- निविदा दस्तावेज पर किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले निविदाकार इसे क्रेता से लिखित रूप में अपने लेटर हेड पर विधिवत हस्ताक्षरित करके प्री-बिड तिथि से एक दिन पहले pcd@hllhites.com और bmsnoida@hllhites.com पर मेलकर ले सकते हैं। बाद में प्राप्त किसी प्रश्न / अभ्यावेदन पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा।
- इच्छुक बोलीदाता अपनी बोलियां जमा करने के लिए वेबसाइट www.hllhites.com देख सकते हैं क्योंकि आगे कोई भी संशोधन इन वेबसाइटों में ही प्रकाशित किया जाएगा।
- यह सभी इच्छुक बोलीदाताओं की जानकारी केलिए, चिकित्सा उपकरण और फर्नीचर के भविष्य के सभी निविदाओं के लिए हाइट्स की वेबसाइट (www.hllhites.com/tenders), डीजीएमई, यूपी (www.dgmeup.gov.in) और GeM पोर्टल नियमित आधार पर देखें।

मुख्य परिचालन अधिकारी (एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड)

फार्म ए
सार्वजनिक घोषणा

(इन्सोलवेंसी एण्ड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (इन्सोलवेंसी रैजुलेशन प्रोसेस फॉर कारपोरेट पर्सन) रैगुलेशन, 2016 के रैगुलेशन 6 के अंतर्गत)

बिंजी फैब इरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के ऋणदाताओं के ध्यानार्थ

	संबंधित विवरण	
1.	कारपोरेट ऋणी का नाम	बिंजी फैब इरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
2.	कारपोरेट ऋणी के सम्मेलन की तिथि	21.05.2001
3.	प्राधिकारी, जिसके अंतर्गत कारपोरेट ऋणी सम्मामेलित/पंजीकृत किया गया है	कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली
4.	कारपोरेट की कारपोरेट पहचान संख्या/ सीमित देयता पहचान संख्या	U29219HR2001PTC034682
5.	कारपोरेट ऋणी का पंजीकृत कार्यालय और मुख्यालय (यदि कोई है) का पता	सीजी-36, पुष्प कॉम्पलेक्स, दिल्ली रोड, हिसार, हरियाणा-125001
6.	कारपोरेट ऋणी के संबंध में इन्सोलवेंसी शुरू करने की तिथि	29.09.2022
7.	इन्सोलवेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया समाप्ति की अनुमानित तिथि	28.03.2023 (इन्सोलवेंसी शुरू होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर के रूप में क्रियात्मक इन्सोलवेंसी प्रोफेशनल का नाम व पंजीकरण संख्या	श्री अशोक कुमार जैन, पंजीकरण सं. आईबीबीआई/आईपीए-003/आईपी-आईसीएआई-एन-00205/2018-2019/12362
9.	बोर्ड से पंजीकृत अनुसार अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर का पता और ई-मेल	एचआईजी 47-ए, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पीओ कालका, जिला पंचकूला, अन्य, हरियाणा-133302 ई-मेल आईडी: akjbaddi@gmail.com
10.	अंतिम प्रस्ताव पेशेवर से संप्रेषण के लिए उपयोग किए जाने वाला पता व ई-मेल	एससीओ-818, पहली मंजिल, यस बैंक के ऊपर, एनएसी, मनीमाजरा, चंडीगढ़- 160101, ई-मेल: cirp.binzyfab@ducturus.com मोबाइल सं. 8168170469, 7719402001
11.	दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	13.10.2022
12.	अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर द्वारा निर्धारित धारा 21 की उपधारा (6ए) के खंड (बी) के तहत क्रेडिटर की श्रेणी, यदि कोई है	श्रेणी का नाम- एन.ए.
13.	श्रेणी में क्रेडिटरों के पंजीकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने वाली इन्सोलवेंसी पेशेवर पहचान का नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	1. एनए 2. एनए 3. एनए
14.	(ए) संबंधित फार्म और (बी) प्राधिकृत प्रतिनिधि का विवरण उपलब्ध है:	(ए) वेब लिंक: http://ibbi.gov.in/downloadform.html लागू फार्म के लिए नीचे दिए गए नोट 1 का संदर्भ लें (बी) लागू नहीं।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, चंडीगढ़ ने 29.09.2022 को बिंजी फैब इरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड की कारपोरेट इन्सोलवेंसी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं।
बिंजी फैब इरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडिटरों को प्रविष्टि सं.10 के अंतर्गत वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर को 13.10.2022 या इससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत करने हेतु एतद्द्वारा आमंत्रित किया जाता है।
फाइनेंशियल क्रेडिटर को केवल इलेक्ट्रोनिक माध्यम द्वारा प्रमाण सहित अपने दावे प्रस्तुत करने होंगे। सभी अन्य क्रेडिटर व्यक्तिगत रूप से, डाक के माध्यम से या इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रमाण के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं। दावों के प्रमाण का प्रस्तुतीकरण इन्सोलवेंसी एण्ड बैंकक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (इन्सोलवेंसी रैजुलेशन प्रोसेस फॉर कारपोरेट पर्सन) रैगुलेशन, 2016 के चैप्टर IV के अनुरूप होने चाहिए। दावों का प्रमाण निम्नलिखित निर्धारित रूप में अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण पत्रों सहित प्रस्तुत करने हैं।
नोट 1.
फार्म-बी : ऑप्रेशनल क्रेडिटर (वर्कमैन और इंप्लॉय के अलावा) द्वारा दावों हेतु।
फार्म-सी: फाइनेंशियल क्रेडिटर द्वारा दावों हेतु।
फार्म-सीए: श्रेणी में फाइनेंशियल क्रेडिटर द्वारा दावों हेतु।
फार्म डी: वर्कमैन और इंप्लॉयिज द्वारा दावों हेतु।
फार्म-ई: वर्कमैन और इंप्लॉय के प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दावों हेतु।
फार्म-एफ : क्रेडिटर्स से अलग फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑप्रेशनल क्रेडिटर्स द्वारा दावों हेतु।
दावों के गलत प्रस्तुतीकरण या भ्रामक प्रमाण पर जुर्माना लगाया जाएगा।
कृपया दावा फार्म में अपने संपर्क विवरण को वर्णित करें ताकि दावे से संबंधित किसी पुछताछ को जल्दी से समाधान किया जा सके।

हस्ता/-
अशोक कुमार जैन
(पंजीकरण सख्या आईबीबीआई/आईपीए-003/आईपी-एन-00205/2018-2019/12362)
दिनांक: 30.09.2022 — बिंजी फैब इरेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
स्थान: चंडीगढ़ — के मामले में अंतरिम प्रस्ताव पेशेवर

क्लासीफाइड

व्यापार

भारत की नं. 1 कंपनी द्वारा अपनी छत, जमीन, खेत, प्लॉट पर उपकरण लगवाए एडवांस 80 लाख+ किराया 40 हजार+ नौकरी + बाइक+इंटरनेट+कॉलिंग फ्री धोखेबाजो से सावधान 18001233031.

सूचना

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गये तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो दैनिक जागरण के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
प्रबंधक विज्ञापन

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश पुत्र श्री रविन्द्र सिंह बल्हारा निवासी मं नं 966, वार्ड नं 28, भारत कालोनी, नजदीक डबल पार्क, रोहतक ने अपना नाम राजेश बल्हारा से बदलकर राजेश रख लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जाए।

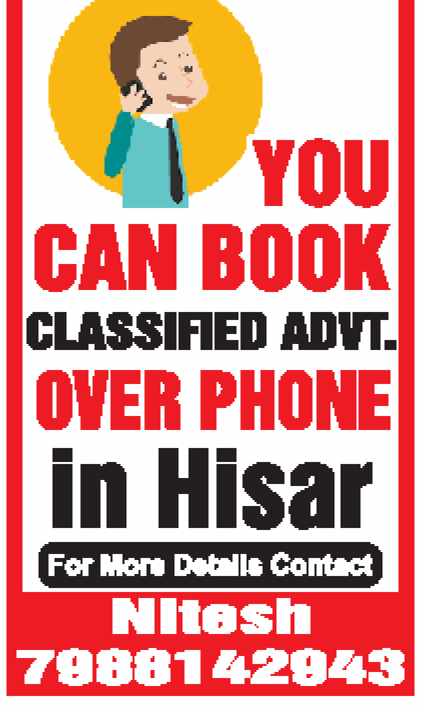

नकली आइजी से मिलीभगत को लेकर विज के निशाने पर अफसर

- **हिमाचल प्रदेश की नारायणगढ़ स्थित काला अंब की कंपनियों से एक करोड़ 49 लाख रुपये लेने और उधार में करोड़ों का माल लेने का मामला**

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हिमाचल प्रदेश की नारायणगढ स्थित काला अंब की अलग अलग कंपनियों से एक करोड़ 49 लाख रुपये लेने और उधार में करोड़ों का माल लेने वाले नकली आइजी (आइबी एमएचए) विनय अग्रवाल व अन्य के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस पूरे प्रकरण की जांच कर एक माह में कर रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए है।

विज ने बताया कि मामले में शायद राज्य सरकार के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। इसकी गहनता से जांच की जाएगी। इस प्रकरण में गृहमत्रीं के समक्ष पंचकूला निवासी जगबीर सिंह ने शिकायत दी है कि विनय अग्रवाल, निशांत सरीन व कोमल खन्ना ने अनुचित दबाव बना वित्तीय धोखाधड़ी करने व झूठी पुलिस कार्रवाई करने की शिकायत की है।

शिकायतकर्ता का कहना है कि वर्ष 2019 में महिन्द्रपाल खन्ना नारायणगढ स्थित उनके घर पर विनय अग्रवाल नामक व्यक्ति को लाया जिसने अपना परिचय आइबी एमएचए में आइपीएस रैंक के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में दिया। उसके बाद विनय अग्रवाल ने उनके घर और काला अम्ब स्थित कंपनियों में आना जाना शुरू कर दिया और फर्म व्यवसायों से संबंधित जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। विनय अग्रवाल अपने साथ पुलिस प्रोटेक्शन व पुलिस अफसर के रूप में रविन्द्र कुमार को बाडी गार्ड, राजसिंह सांगवान, व जसबीर सिंह ड्राइवर को लेकर चलता था और अपने झूठे पद का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री में आकर अनुचित दबाव बनाते और परेशान करते थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि सबसे पहले सिम्बोयोसिस और उसकी समूह कंपनियों को अपनी अधिकारिक स्थिति और पद का रौब दिखाते हुए दवाइयों के सैंपल उठवाने और बड़े व्यक्तियों के साथ संबंध होने का हवाला देते हुए कंपनी बंद करने की धमकी देकर पैसे लेना शुरू कर दिया। इस प्रकार, नकली आइजी बने विनय अग्रवाल ने सिम्बोसिस फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लि. से 42 लाख, साई टैक मेडिकेयर प्राइवेट लि. 14 लाख, ओवेशन रेमेडिज 23 लाख, साईनेर्जी केयर 54 लाख रुपये, तेजस मेडीपेक व एनके इंडस्ट्रीज से 8-8 लाख रुपये ले लिए। उसके बाद वह मेरे निवास पर दो पुलिस की गाड़ियां लेकर आया और निशांत सरीन के खिलाफ दायर मामलें में पुलिस की मदद न करने व कोमल खन्ना से भी समझौता करने का दबाव बनाने और डराने लगा।

कैथल के विक्रम के फेफड़े मुंबई के हास्पिटल में बुजुर्ग में किए ट्रांसप्लांट

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़: कैथल के गांव बाटा कलायत के रहने वाले 18 साल के विक्रम की सड़क हादसे में मौत हो गई। मृतक विक्रम के मां-बाप ने इस दुख की घड़ी में अंगदान का फैसला किया। विक्रम के फेफड़ों को ग्रीन कारिडोर बनाकर मुंबई के सर एचएन रिलायंस हास्पिटल में 66 साल के एक बुजुर्ग में फेफड़ों को ट्रांसप्लांट किया गया।

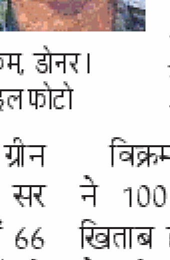
विक्रम, डोनर। फाइल फोटो

यह बुजुर्ग बीते कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। विक्रम के अंगदान से पीजीआइ ने चार लोगों की जिंदगी बचाई, वहीं दो अन्य लोगों की आंखों की रोशनी लौटाकर उन्हें नया जीवन दिया। इस अंगदान का फैसला मृतक विक्रम के पिता गजे सिंह ने किया।

विक्रम के अंगदान से पीजीआइ ने 100 लिवर ट्रांसप्लांट का खिताब हासिल किया। पीजीआइ ने वर्ष 2011 में लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम की शुरुआत की थी। अब तक पीजीआइ 100 मृत मरीजों के लिवर ट्रांसप्लांट कर चुका है।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
बेय सं. 67-70, सेक्टर-2, पंचकूला- 134154
(www.hssc.gov.in)

घोषणा

विज्ञापन सं. 12/2019, श्रेणी सं. 47 के अंतर्गत कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, पंचकूला हरियाणा के ड्राफ्टमैन मेकैनिकल इंस्ट्रक्टर (प्रैक्टिकल) के पद हेतु अंतिम परिणाम।

विज्ञापन सं. 12/2019, श्रेणी सं. 47 के अंतर्गत कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, पंचकूला हरियाणा के ड्राफ्टमैन मेकैनिकल इंस्ट्रक्टर (प्रैक्टिकल) के पद हेतु लिखित परीक्षा, दस्तावेजों की जांच तथा सामाजिक-आर्थिक मानदंड के आधार पर आयोग ने इस परिणाम को अंतिम रूप दिया तथा घोषणा की है। इस परिणाम को श्रेणीवार एवं रोलनंबरवार दर्शाया गया है तथा प्रत्येक श्रेणी में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्तांक बैकेट में दर्शाए गए।

Advt. No. 12/2019, Cat. No.47, Draughtsman Mechanical Instructor(Practical) (28 Posts)

General (04 Posts - 01 OH General = 03 Posts)
1219470001 1219470007 1219470022 **(68.00)**

General Waiting
1219470021 1219470079 **(40.50)**

SC (05 Posts)
1219470002 1219470008 1219470031 1219470049 1219470071 **(45.50)**

SC Waiting
1219470061 1219470066 **(41.00)**

BCA (05 Posts)
1219470013 1219470017 1219470041 1219470047 1219470062 **(48.00)**

BCA Waiting
1219470042 1219470053 **(46.00)**

BCB (02 Posts)
1219470029 1219470063 **(50.50)**

BCB Waiting
1219470034 **(33.00)**

EWS (03 Posts)
1219470051 1219470054 1219470064 **(48.50)**

EWS Waiting
1219470045 1219470069 **(37.00)**

ESM GEN (05 Posts)
1219470003 1219470004 1219470018 1219470020 1219470056 **(44.00)**

ESM BCA(01 Post)
1219470065 **(47.50)**

ESM BCB(01 Post)
1219470010 **(42.00)**

ESP BCA(01 Post)
1219470025 **(47.50)**

ESP BCB(01 Post)
1219470048 **(37.00)**

OH(01 Post)
1219470057 **(47.50)**

चयन के लिए अपनाए मानदंड
1.) लिखित परीक्षा........90-अंक
2.) सामाजिक आर्थिक मानदंड........10 -अंक
कुल : 100 -अंक

नोट:- 1. सभी उपरोक्त उम्मीदवारों का चयन इस विभाग द्वारा बायोमैट्रिक और सामाजिक-आर्थिक अंको तथा अन्य योग्यताओं के पुष्टिकरण के विषय अधीन है। कोई उम्मीदवार बायोमैट्रिक/फेशिल पुष्टिकरण में नियुक्ति या किसी अन्य चरण में असफल होता है या कोई उम्मीदवार सामाजिक-आर्थिक मानदंड का गलत/झूठा लाभ लेते हुए पाया जाता है तो उसे चयन सूची से बाहर कर दिया जाएगा और उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी। सभी उम्मीदवारों को विभाग में नियुक्ति के समय सामाजिक-आर्थिक मानदंड के अंतर्गत "परिवार में कोई सरकारी नौकरी न होने" से संबंधित तहसीलदार/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/एसडीएम द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत व जमा करना के लिए सूचित किया जाता है।
2. सरकार के दिशानिर्देश सं.22/15/1992-3जीएस-III दिनांक : 07.10.2008 के अनुसार यदि ईएसपी की विशेष श्रेणी में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो इसे समान श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच से भरा जाएगा।
3. सरकारी दिर्नेश संख्या 22/10/2010-1 जीएस III दिनांक 23.05.2014 के अनुसार यदि भूतपूर्व सैनिक की विशेष श्रेणी में उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होता है तो इसे समान श्रेणी के उम्मीदवारों के बीच से भरा जाएगा।
4. इस परिणाम को तैयार एवं अपलोड करते हुए अत्यंत सावधानी बरती गई फिर भी भूलवश/तकनीकी त्रुटि से इंकार नहीं किया जा सकता है। आयोग के पास इसे बाद में संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।
5. यह परिणाम एचएसएससी की वेबसाईट अर्थात www.hssc.gov.in पर भी उपलब्ध है।

हस्ता/-
सचिव
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
PRDH-1159/13/407/2023/13002/67/6 — दिनांक: 29.09.2022

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
बेय सं. 67-70, सेक्टर-2, पंचकूला- 134154
(www.hssc.gov.in)

EXAMINATION NOTICE

NOTICE TO THE CANDIDATES FOR WRITTEN EXAMINATION (OMR BASED) FOR THE POST OF LAW OFFICERS (CONTRACTUAL BASIS) OF HARYANA STAFF SELECTION COMMISSION, PANCHKULA

It is notified for the information of all concerned that Haryana Staff Selection Commission will hold written examination Optical Mark Recognition (OMR Sheets Based) for the post of Law Officers (contractual basis) against Advt. HSSC/1E/2022/6597 at Panchkula District as per schedule given below:-

Sr. No.	Name of the post	Date & time of Examination	Place
1.	Law Officers (Contractual Basis)	**15.10.2022 (Saturday) (Evening Session)** from 03.30 P.M. to 05:00 P.M. Reporting time 02:15 P.M. **(No Entry after 03:00 P.M.)**	As per Admit Card

2. **Selection Criteria**

Total Marks: 125
I. Written Examination........ 100 Marks
II. Experience in concerned field........ 05 Marks
III. Interview and Skill Test........ 20 Marks

(I) Detail of Written Test:
Written Test comprising of 100 multiple choice questions with one mark for each correct answer: -
i) 50% weightage for Law questions: i.e. (a) Constitution of India (b) CPC (c) Cr.P.C. (d) Limitation Act and (e) Service Law etc.
ii) 20% weightage for English language consisting of General English & Grammer question.
iii) 10% weightage for Hindi language consisting of General knowledge of Hindi & Grammer.
iv) 10% weightage for History, Haryana Culture Knowledge, Current Affairs.
v) 10% weightage for Reasoning and General Knowledge.

IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR THE CANDIDATES FOR WRITTEN EXAMINATION ARE AVAILABLE ON WEBSITE OF THE COMMISSION i.e. www.hssc.gov.in WHICH SHOULD BE THOROUGHLY READ BY CANDIDATES BEFORE COMING FOR EXAMINATION.

Admit Card for written examination of the candidates will be uploaded on the Commission Web-site i.e. www.hssc.gov.in on dated 10.10.2022. **Candidates are advised to read the instructions on the Admit Card carefully and follow the same strictly.**

No separate information will be sent to the candidates by the Commission through post.

स्थान : पंचकूला — हस्ता/-
दिनांक: 30 सितम्बर, 09.2022 — सचिव
PRDH-1159/13/409/2023/13024/67/6 — हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, पंचकूला

****